[illegible] प्रकरण सं. 472/2017

प्रार्थी ब नाम विप्रार्थीगण

[illegible] पुत्र खूमाराम जाति जाट निवासी मूलजी की ढाणी तह. पचपदरा

1. विशनाराम पुत्र तेजाराम जाति चौधरी
2. मादाराम पुत्र तेजाराम जाति चौधरी
3. भुमिधारक तहसीलदार पचपदरा
4. पन्नीदेवी पत्नी पूराराम जाति जाट
5. हेमीदेवी पत्नी पूराराम जाति जाट
6. रुखमणीदेवी पुत्री पूराराम जाति जाट सभी निवासी मूलजी की ढ़ाणी हाल बालोतरा तहसील पचपदरा
7. मानाराम पुत्र तुलछाराम जाति जाट
8. श्रीरामाराम पुत्र तुलछाराम जाति जाट
9. जयनारायण पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी मूलजी की ढ़ाणी तहसील पचपदरा

प्रकरण अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए

उपस्थित –
1. श्री अचलाराम थोरी विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से –
2. श्री खुशालाराम पटेल विद्वान अधिवक्ता, विप्रार्थी सं. 01 व 02 की ओर से –
3. श्री लादुराम चौधरी विद्वान अधिवक्ता, विप्रार्थी ठाकराराम व गंगाराम की ओर से –

आदेश दिनांक: 31-10-2017

प्रार्थी ने न्यायालय में वर्तमान प्रकरण इस आशय का पेश किया कि, उसकी सह सयुक्त खातेदारी का खेत खसरा सं. 89/28 रकबा 120 बीघा 18 विस्वा मौजा मुलजी की ढाणी में आया हुआ है, जो भूमि प्रार्थी द्वारा काश्त कार्य हेतु उपयोग उपभोग ली जा रही है, जिसमें आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, इसलिए प्रार्थना पत्र के संलग्न परिशिष्ट "अ" में दर्शाये मार्क ए. से बी. बरंग लाल भाग रास्ता चौड़ा 13 फीट जो पड़ौसी खसरा सं. 98/32 में से घोषित किया जावे, उक्त रास्ता सबसे नजदीकी रास्ता है, जिससे प्रस्तावित रास्ता वर्तमान में प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण द्वारा रास्ते के रूप में उपयोग लिया जा रहा है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया, जिस पर विप्रार्थी सं. 01 व 02 ने लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि, उसकी खातेदारी के खसरा सं. 98/32 में से रास्ता गलत तरीके से व भ्रामक तथ्य पेश कर प्रार्थना पत्र पेश किया है, प्रार्थी न्यायालय के समक्ष साफ हाथो से नही आया है, उक्त खसरा में से होकर परिशिष्ट 'अ' में बताए गये स्थान पर मौके पर कोई रास्ता नही है, प्रार्थी के खेत के चारो ओर तारबन्दी की हुई है, प्रार्थी के पुर्व खातेदार हम विप्रार्थीगण के खेत में से होकर कभी आने जाने का काम नही पड़ा, कटाण के रास्ते से अन्य खेतो नें व स्कुल में आने जाने हेतु सभी के हित को मध्य नजर रखते हुए विप्रार्थीगण के खेत खसरा सस. 98/32 के बदिशा उत्तर पुर्व के सेढे–सेढे रास्ता छोड़ा हुआ है व मौके पर रास्ता चल रहा है, हम विप्रार्थीगण अपने खेत में से एक रास्ता पहले दे चुके है, प्रार्थी हमारी जमीन को नष्ट करना चाहता है, प्रार्थी ने गलत आवेदन पत्र पेश किया है, जो खारिज किया जावे।

दोनों पक्षों की ओर से लिखित जवाब पेश होने पर मौके की रिपोर्ट भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा से चाही गई, जो रिपोर्ट दिनांक 18.10.2017 को प्राप्त हुई, रिपोर्ट

....2..

सहायक कलेक्टर
[illegible] बालोतरा

अनुसार खसरा सं. 89/28 में आवागमन हेतु रिपोर्ट के संलग्न नक्शा में बरंग लाल से प्रस्तावित भूमि ख. सं. 98/32 में से रकबा 8 विस्वा व ख. नं. 94/31 रकबा 8 विस्वा कुल रकबा 16 विस्वा प्रस्तावित की है। प्रस्तावित भूमि से अधिक निकटतम अन्य रास्ता उचित नही होगा, उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद प्रकरण सुनवाई हेतु नियत होने के दिन खसरा सां. 94/31 के खातेदार ठाकराराम व गंगाराम ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपने अधिवक्ता के मार्फत प्रार्थना पत्र बाबत रास्ते हेतु सहमति का पेश किया की, जिस पर उनके अधिवक्ता की भी बहस सुनी गई, बहस के दौरान उनके अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दौराते हुए कथन किया कि तहसीलदार पचपदरा के द्वारा प्रस्तुत मौके की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी नवलाराम का रास्ते का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर हमारी खातेदारी भुमि में से 13 फीट रास्ता दिया जाता है, तो हमें प्रार्थी नवलाराम से हमारी जितने विस्वा भूमि रास्ते की भूमि के उपयोग हेतु कटौती की जाती है, उससे दुगुनी क्षेत्रफल की भूमि नवलाराम से दिलवाई जाती है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, एवं हमारे सेढे पर तारबंदी की गई है, उसकी क्षतिपुर्ति के 25,000/– भी नवलाराम से प्राप्त करना चाहते है।

हमने उभय पक्षों के उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस को सुना, पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात मौका रिपोर्ट का अवलोकन व अध्ययन किया।

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि, प्रार्थी के पास निकटतम दूरी का रास्ता जो प्रार्थी द्वारा चाहा गया है, वो ही है, उसकी खातेदारी का खेत खसरा सं. 89/28 रकबा 120 बीघा 18 विस्वा भूमि का प्रार्थी बतौर सहकाश्तकार काश्त कार्य हेतु उपयोग उपभोग ली जा रही है, जिसमें आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, इसलिए प्रार्थना पत्र के संलग्न परिशिष्ट "अ" में दर्शाये मार्क ए. से बी. बरंग लाल भाग रास्ता चौड़ा 13 फीट जो पड़ौसी खसरा सं. 98/32 में से घोषित किया जावे, उक्त रास्ता सबसे नजदीकी रास्ता है, जिससे प्रस्तावित रास्ता वर्तमान में प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण द्वारा रास्ते के रूप में उपयोग लिया जा रहा है। यदि मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा सं. 94/31 के खातेदारी की भूमि में से 08 विस्वा रास्ता दिया जाता है, तो प्रार्थी डीएल.सी. रेट से दो गुणा मुआवजा देने हेतु या विकल्प में जितना रकबा रास्ते हेतु उपयोग हो रहा है यानि 08 विस्वा रकबा ठाकराराम व गंगाराम को देने हेतु तैयार है, यदि ठाकराराम, गंगाराम भूमि 08 विस्वा लेते है, तो अन्य कोई राशि या मुआवजा पाने के अधिकारी नही है, क्योकि 08 विस्वा भूमि देने की स्थिति में सेढ़े पर प्रार्थी को भी अपने खेत की तारबन्दी पुनः करनी पड़ेगी, जिस हेतु खर्चा होगा, ऐसी स्थिति में न्यायहित में भी ऐसा करना उचित नही होगा।

वकील विप्रार्थी सं. 1 के अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क दिया कि, उसकी खातेदारी के खसरा सं. 98/32 में से रास्ता गलत तरीके से व भ्रामक तथ्य पेश कर प्रार्थना पत्र पेश किया है, उक्त खसरा में से होकर परिशिष्ट 'अ' में बताए गये स्थान पर मौके पर कोई रास्ता नही है, प्रार्थी के खेत के चारो ओर तारबन्दी की हुई है, प्रार्थी की पुर्व खातेदार हम विप्रार्थीगण के खेत में से हम विप्रार्थीगण के खेत में से होकर कभी आने जाने का काम नही पड़ा, कटाण के रास्ते से अन्य खेतो में व स्कुल में आने जाने हेतु सभी के हित को मध्य नजर रखते हुए विप्रार्थीगण के खेत खसरा सं. 98/32 के बदिशा उतर पुर्व के सेढे–सेढे रास्ता छोड़ा हेआ है व मौके पर रास्ता चल रहा है, हम विप्रार्थीगण अपने खेत में से एक रास्ता पहले दे चुके है, प्रार्थी हमारी जमीन को नष्ट करना चाहता है, जो खारिज किया जावे।

हमने उभय पक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया, बाद गौर चूँकि प्रार्थी खसरा सं. 89/28 रकबा 120 बीघा 18 विस्वा का रेकर्डेड सहखातेदार है, और उक्त भूमि को कृषि कार्य हेतु उपयोग लेने का कथन किया है, मौके पर उक्त भूमि के लगता कोई कटाण का रास्ता नहीं है, तथा प्रार्थी द्वारा दो गट्टा चौड़ा और परिशिष्ट "अ" में ए. से बी. मार्क तक लम्बा जो रास्ता चाहा है, वो सबसे नजदीकी रास्ता प्रतीत हो रहा है, और काश्तकार को अपने खेत में आवागमन हेतु रास्ता पाने का विधिक अधिकार प्राप्त है, यही मंशा धारा 251 ए. आर.टी.ए. की रही है। जहा तक प्रार्थी द्वारा

रकबा 18 बिस्वा प्रस्तावित की है। प्रस्तावित भूमि से अधिक निकटतम अन्य रास्ता उचित नही होगा, उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद प्रकरण सुनवाई हेतु नियत होने के दिन खसरा सां. 94/31 के खातेदार ठाकराराम व गंगाराम ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपने अधिवक्ता के मार्फत प्रार्थना पत्र बाबत रास्ते हेतु सहमति का पेश किया की, जिस पर उनके अधिवक्ता की भी बहस सुनी गई, बहस के दौरान उनके अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दौराते हुए कथन किया कि तहसीलदार पचपदरा के द्वारा प्रस्तुत मौके की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी नवलाराम का रास्ते का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर हमारी खातेदारी भूमि में से 13 फीट रास्ता दिया जाता है, तो हमें प्रार्थी नवलाराम से हमारी जितने बिस्वा भूमि रास्ते की भूमि के उपयोग हेतु कटौती की जाती है, उससे दुगुनी क्षेत्रफल की भूमि नवलाराम से दिलवाई जाती है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, एवं हमारे सेढे पर तारबंदी की गई है, उसकी क्षतिपुर्ति के 25,000/– भी नवलाराम से प्राप्त करना चाहते है।

हमने उभय पक्षों के उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस को सुना, पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात मौका रिपोर्ट का अवलोकन व अध्ययन किया।

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि, प्रार्थी के पास निकटतम दूरी का रास्ता जो प्रार्थी द्वारा चाहा गया है, वो ही है, उसकी खातेदारी का खेत खसरा सं. 89/28 रकबा 120 बीघा 18 बिस्वा भूमि का प्रार्थी बतौर सहकाश्तकार काश्त कार्य हेतु उपयोग उपभोग ली जा रही है, जिसमें आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, इसलिए प्रार्थना पत्र के संलग्न परिशिष्ट "अ" में दर्शाये मार्क ए. से बी. बरंग लाल भाग रास्ता चौड़ा 13 फीट जो पड़ौसी खसरा सं. 98/32 में से घोषित किया जावे, उक्त रास्ता सबसे नजदीकी रास्ता है, जिससे प्रस्तावित रास्ता वर्तमान में प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण द्वारा रास्ते के रूप में उपयोग लिया जा रहा है। यदि मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा सं. 94/31 के खातेदारी की भूमि में से 08 बिस्वा रास्ता दिया जाता है, तो प्रार्थी डीएल.सी. रेट से दो गुणा मुआवजा देने हेतु या विकल्प में जितना रकबा रास्ते हेतु उपयोग हो रहा है यानि 08 बिस्वा रकबा ठाकराराम व गंगाराम को देने हेतु तैयार है, यदि ठाकराराम, गंगाराम भूमि 08 बिस्वा लेते है, तो अन्य कोई राशि या मुआवजा पाने के अधिकारी नही है, क्योकि 08 बिस्वा भूमि देने की स्थिति में सेढ़े पर प्रार्थी को भी अपने खेत की तारबन्दी पुनः करनी पड़ेगी, जिस हेतु खर्चा होगा, ऐसी स्थिति में न्यायहित में भी ऐसा करना उचित नही होगा।

वकील विप्रार्थी सं. 1 के अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क दिया कि, उसकी खातेदारी के खसरा सं. 98/32 में से रास्ता गलत तरीके से व भ्रामक तथ्य पेश कर प्रार्थना पत्र पेश किया है, उक्त खसरा में से होकर परिशिष्ट 'अ' में बताए गये स्थान पर मौके पर कोई रास्ता नही है, प्रार्थी के खेत के चारो ओर तारबन्दी की हुई है, प्रार्थी की पुर्व खातेदार हम विप्रार्थीगण के खेत में से हम विप्रार्थीगण के खेत में से होकर कभी आने जाने का काम नही पड़ा, कटाण के रास्ते से अन्य खेतो में व स्कुल में आने जाने हेतु सभी के हित को मध्य नजर रखते हुए विप्रार्थीगण के खेत खसरा सं. 98/32 के बदिशा उत्तर पुर्व के सेढे–सेढे रास्ता छोड़ा हेआ है व मौके पर रास्ता चल रहा है, हम विप्रार्थीगण अपने खेत में से एक रास्ता पहले दे चुके है, प्रार्थी हमारी जमीन को नष्ट करना चाहता है, जो खारिज किया जावे।

हमने उभय पक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया, बाद गौर चूँकि प्रार्थी खसरा सं. 89/28 रकबा 120 बीघा 18 बिस्वा का रेकर्डेड सहखातेदार है, और उक्त भूमि को कृषि कार्य हेतु उपयोग लेने का कथन किया है, मौके पर उक्त भूमि के लगता कोई कटाण का रास्ता नहीं है, तथा प्रार्थी द्वारा दो गट्टा चौड़ा और परिशिष्ट "अ" में ए. से बी. मार्क तक लम्बा जो रास्ता चाहा है, वो सबसे नजदीकी रास्ता प्रतीत हो रहा है, और काश्तकार को अपने खेत में आवागमन हेतु रास्ता पाने का विधिक अधिकार प्राप्त है, यही मंशा धारा 251 ए. आर.टी.ए. की रही है। जहां तक प्रार्थी द्वारा पड़ौसी एक ही खसरा में से रास्ता चाहा है, और मौके फर्द अनुसार दो पड़ौसी खसरान में रास्ता देना उचित बताया है, पर विचार किया तथा गंगाराम ठाकराराम की मांग पर मनन किया, चुँकि प्रार्थी को ठाकराराम के खातेदारी भूमि खसरा सं. 94/31 में से प्रस्तावित रास्ता

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

हेतु देना बताया है, वो रकबा 08 विस्वा बताया है, इतना रकबा 08 विस्वा प्रार्थी अपने हिस्से की खातेदारी भुमि में से ठाकराराम को देने हेतु सहमत होना बताया, धारा 251 आर.टी.ए म संशोधन नियमो अनुसार मुआवजा राशि के अलावा क्षतिपुर्ति का प्रावधान है, किन्तु दुसरी जमीन देने का कोई प्रावधान विद्यमान नही है, ऐसी स्थिति में मौका फर्द अनुसार प्रस्तावित किये गये रास्ते अनुसार रेकर्ड में रास्ता घोषित करना उचित प्रतित होता है, क्योकि अन्य कोई कटाण का रास्ता उक्त भूमि के लगता हुआ विद्यमान नही है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251 ए, आर.टी.ए. स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि निर्णय के संलग्न परिशिष्ट नक्शा में वर्णित मार्क ए. से बी. भाग तक खसरा सं. 98/32 के रकबा में से में दो गट्टा चौडा व 75 गट्टा लम्बाई मे इसी प्रकार खसरा सं. 94/31 के रकबा में से कुल 08 विस्वा रकबा 02 गट्टा चौडा व 75 गट्टा लम्बा परिशिष्ट नक्शा मे मार्क बी. से सी. भाग तक घोषित किया जाता है, खसरा सं. 94/31 के खातेदार द्वारा मुआवजा की राशि प्राप्त नहीं करना चाहा कर जमीन चाही है, रास्ते के रकबे हेतु 08 विस्वा रकबा उक्त खसरा में से काटा गया है, अतः प्रार्थी के खातेदारी के खसरा सं. 98/28 में से 08 विस्वा प्रार्थी द्वारा ठाकराराम को देने हेतु आदेशित किया जाता है, प्रार्थी ने लिखित सहमति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शा में वर्णित खसरा सं. 94/31 के जुडती उसके कब्जे की भूमि उसकी खातेदारी में से विप्रार्थी ठाकराराम को देने हेतु तैयार है, इसी अनुसार ठाकराराम के नाम दर्ज की जाती है, तो प्रार्थी को आपत्ति नही है। 08 विस्वा रास्ता की भूमि के बदले प्रार्थी की भुमि खसरा सं. 98/28 में से खसरा सं. 94/31 से जुड़ती हुई 08 विस्वा कृषि भूमि प्रार्थी नवलाराम के हक हिस्से में से कम करते हुए (शेष सहखातेदारो की भूमि को यथावत रखते हुए) ठाकराराम पुत्र पुनमाराम के नाम किये जाने का आदेश पारित किया जाता है। तदानुसार तहसीलदार पचपदरा को रेकर्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है। अन्य कोई राशि प्रार्थी द्वारा बतायी परिस्थिति अनुसार दिलाना उचित प्रतीत नहीं होता है, इसी प्रकार खसरा सं. 98/32 के रकबे में से 08 विस्वा रकबा रास्ते में उपयोग किया गया है, डी. एल. सी. रेट अनुसार उक्त भुमि प्रति बीघा 30,900/- रूपये है, जिसके अनुसार 08 विस्वा रकबे की कीमत रूपये 12,360/- बनती है, दुगुना 12,360 x 2 = 24,720/- विप्रार्थी सं. 1 व 2 (विशनाराम, मादाराम) प्रार्थी से प्राप्त करने के अधिकारी है, कुल रूपये 24,720/- प्रार्थी, विप्रार्थी सं. 1 व 2 को अदा करें, विप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा उक्त रकम नहीं लेने की स्थिति में प्रार्थी तहसीलदार पचपदरा के कार्यालय में जमा करवा सकेगा, उसके पश्चात तहसीलदार पचपदरा द्वारा राजस्व रेकर्ड जमाबंदी व नक्शा में उक्त रास्ते का अंकन कर अमल दरामद किया जावे, तथा रास्ते का रकबा कुल दोनों खसरों खसरा सं. 94/31 व 98/32 के रकबा में से 8 विस्वा- 8 विस्वा कुल 16 विस्वा सार्वजनिक रास्ता दर्ज कर मूल खतौनी के रकबे में से कम किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

आदेश आज तारिख 31-10-2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथराम)
उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.)
बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :— श्री **भागीरथराम आर.ए.एस.**

राजस्व प्रकरण सं. 472/2017

प्रार्थी ब नाम विप्रार्थीगण

नवलाराम पुत्र खूमाराम जाति जाट निवासी मूलजी की ढ़ाणी तह. पचपदरा

1. विशनाराम पुत्र तेजाराम जाति चौधरी
2. मादाराम पुत्र तेजाराम जाति चौधरी
3. भुमिधारक तहसीलदार पचपदरा
4. पन्नीदेवी पत्नी पूराराम जाति जाट
5. हेमीदेवी पत्नी पूराराम जाति जाट
6. रूखमणीदेवी पुत्री पूराराम जाति जाट सभी निवासी मूलजी की ढ़ाणी हाल बालोतरा तहसील पचपदरा
7. मानाराम पुत्र तुलछाराम जाति जाट
8. श्रीरामाराम पुत्र तुलछाराम जाति जाट
9. जयनारायण पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी मूलजी की ढ़ाणी तहसील पचपदरा

प्रकरण अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए

उपस्थित —

1. श्री अचलाराम थोरी विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से —
2. श्री खुशालाराम पटेल विद्वान अधिवक्ता, विप्रार्थी सं. 01 व 02 की ओर से —
3. श्री लादुराम चौधरी विद्वान अधिवक्ता, विप्रार्थी डाकाराम व गंगाराम की ओर से —

आदेश

दिनांक: 31-10-2017

प्रार्थी ने न्यायालय में वर्तमान प्रकरण इस आशय का पेश किया कि, उसकी सह सयुक्त खातेदारी का खेत खसरा सं. 89/28 रकबा 120 बीघा 18 विस्वा मौजा मुलजी की ढाणी में आया हुआ है, जो भूमि प्रार्थी द्वारा काश्त कार्य हेतु उपयोग उपभोग ली जा रही है, जिसमें आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, इसलिए प्रार्थना पत्र के संलग्न परिशिष्ट "अ" में दर्शाये मार्क ए. से बी. बरंग लाल भाग रास्ता चौड़ा 13 फीट जो पड़ौसी खसरा सं. 98/32 में से घोषित किया जावे, उक्त रास्ता सबसे नजदीकी रास्ता है, जिससे प्रस्तावित रास्ता वर्तमान में प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण द्वारा रास्ते के रूप में उपयोग लिया जा रहा है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया, जिस पर विप्रार्थी सं. 01 व 02 ने लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि, उसकी खातेदारी के खसरा सं. 98/32 में से रास्ता गलत तरीके से व भ्रामक तथ्य पेश कर प्रार्थना पत्र पेश किया है, प्रार्थी न्यायालय के समक्ष साफ हाथो से नही आया है, उक्त खसरा में से होकर परिशिष्ट 'अ' में बताए गये स्थान पर मौके पर कोई रास्ता नही है, प्रार्थी के खेत के चारो ओर तारबन्दी की हुई है, प्रार्थी के पुर्व खातेदार हम विप्रार्थीगण के खेत में से होकर कभी आने जाने का काम नही पड़ा, कटाण के रास्ते से अन्य खेतो में व स्कुल में आने जाने हेतु सभी के हित को मध्य नजर रखते हुए विप्रार्थीगण के खेत खसरा ससं. 98/32 के बदिशा उतर पुर्व के सेढे–सेढे रास्ता छोड़ा हुआ है व मौके पर रास्ता चल रहा है, हम विप्रार्थीगण अपने खेत में से एक रास्ता पहले दे चुके है, प्रार्थी हमारी जमीन को नष्ट करना चाहता है, प्रार्थी ने गलत आवेदन पत्र पेश किया है, जो खारिज किया जावे।

दोनों पक्षों की ओर से लिखित जवाब पेश होने पर मौके की रिपोर्ट भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा से चाही गई, जो रिपोर्ट दिनांक 18.10.2017 को आने पर रिपोर्ट